राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल बनाम यश पाल एवं अन्य
माननीय न्यायमूर्ति जे. एस. नारंग

माननीय* न्यायमूर्ति *जे.* एस. नारंग और अरविंद कुमार, *के समक्ष

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल – याचिकाकर्ता

बनाम

यश पाल एवं अन्य, – प्रत्यर्थी

सी. डब्ल्यू. पी. न 2006 का 932

26 सितंबर, 2006

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 - धारा 25 (एफ) (जी) और (एच) - देरी और अवधि का बीत जाना - श्रमिक ने लगभग 2 वर्षों तक दैनिक वेतन के आधार पर काम किया - 10 साल से अधिक की अवधि के बाद मांग नोटिस दिया गया - सरकार ने औद्योगिक विवाद को निर्णय के लिए संदर्भित किया- सरकार ने औद्योगिक विवाद को न्यायिक निर्णय के लिए संदर्भित किया - श्रम न्यायालय ने देरी को श्रमिक के दावे के लिए घातक नहीं माना क्योंकि परिसीमा अधिनियम के प्रावधान 1947 अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं कामगार मांग नोटिस भेजने के लिए 10 साल से अधिक समय की देरी के कारणों को समझाने में विफल रहा - श्रमिक उच्च न्यायालय के समक्ष कोई उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहा- याचिका स्वीकार की गई, श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को संदर्भ को टिकाऊ न मानते हुए रद्द कर दिया गया।

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल बनाम यश पाल एवं अन्य

माननीय न्यायमूर्ति जे. एस. नारंग

निर्णय, कामगार तदनुसार राहत का दावा करने के लिए, अधिनियम के प्रावधानों के तहत, दस साल से अधिक की अवधि के बाद मांग नोटिस भेजने के कारणों को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं हुए। अभी भी लिखित बयान देते समय कर्मचारी ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। यह स्पष्ट है कि उपयुक्त सरकार को बढ़ती हुए पुरानी माँगो की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी और अगर कर्मचारी देरी और औद्योगिक विवाद के अस्तित्व और निर्वाह को समझने में सक्षम हुआ, तो ऐसे मामले को न्यायिक निर्णय के लिए संदर्भित करना उचित माना जाएगा। यदि ऐसा स्पष्टीकरण नहीं मिलता है और औद्योगिक विवाद अस्तित्व में नहीं रहता है, तो ऐसी पुरानी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा। कोई स्पष्टीकरण तो दूर, उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया क्योंकि कोई भी स्पष्टीकरण ना तो उपयुक्त सरकार ,न ही कोई श्रम न्यायालय और न ही हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था। कर्मचारी द्वारा लिखित बयान देते समय इस संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया। परिणामस्वरूप, हमारी राय है कि उपयुक्त सरकार ने दस वर्षों की अवधि के बाद उठायी गई पुरानी माँगो के संदर्भ को न्यायिक निर्णय में भेजने में गलती की है, और आगे श्रम न्यायालय ने भी संदर्भ पर विचार करने में गलती की है क्योकि उठायी गई पुरानी माँगे पार्टियों के बीच ना तो मौजूद थी और ना ही उनका कोई अस्तित्व है।

(पैरा 10 और 11)

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल बनाम यश पाल एवं अन्य
माननीय न्यायमूर्ति जे. एस. नारंग

याचिकाकर्ता के वकील - आर.के. शर्मा।

प्रतिवादी संख्या 1 के वकील - एच. एस. सैनी।

<u>**निर्णय**</u>

माननीय न्यायमूर्ति जे.एस. नारंग

(1) याचिकाकर्ता- प्रबंधन, श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 12 जुलाई, 2005/10 अक्टूबर, 2005, प्रतिलिपि अनुलग्नक पी-3 से व्यथित है। मुख्य प्रश्न यह है कि श्रमिक द्वारा गैर-मौजूद औद्योगिक विवाद को उठाने के लिए की गई देरी और अवधि के बीत जाने की दलील के बावजूद, संदर्भ का उत्तर श्रमिक के पक्ष में और प्रबंधन के खिलाफ दिया गया है।

(2) तथ्यात्मक स्थिति यह है कि कामगार-प्रतिवादी नंबर 1 को वर्ष 1979 से 1981 के दौरान दैनिक वेतन के आधार पर आकस्मिक श्रमिक के रूप में निम्नानुसार दिए गए विवरण के अनुसार नियुक्त किया गया था-

(i) मार्च से मई 1979 तक 63 दिन।

(ii) मार्च से मई, 1980 तक 79 दिन।

(iii) सितंबर से दिसंबर, 1980 तक 75 दिन।

(iv) फरवरी से अक्टूबर, 1981 तक 217 दिन।

(3) कर्मचारी को आवश्यकता के आधार पर नियुक्त किया गया था, इसलिए, उसे प्रबंधन के नियंत्रण, किसी भी पद पर अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि अक्टूबर, 1981 के बाद नियुक्त नहीं किया था। वर्ष 1991 में, यानी दस साल से अधिक की अवधि के बाद, प्रबंधन को एक मांग नोटिस भेजा गया था लेकिन कोई स्पष्टीकरण तो दूर, उचित स्पष्टीकरण भी

नहीं दिया गया कि औद्योगिक विवाद अभी भी कायम है। सुलह अधिकारी के समक्ष, कार्यवाही में देरी और अवधि के बीत जाने के साथ-साथ न्याय निर्णयन के लिए संदर्भित औद्योगिक विवाद के संबंध में, आपत्ति जताकर विरोध किया गया था। हालाँकि, आपत्ति के बावजूद, औद्योगिक विवाद को दिनांक 26 अगस्त, 1993 के आदेश के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भित किया गया था।

(4) कामगार ने यह कहते हुए दावा विवरण प्रस्तुत कहा कि उसे वर्ष 1979 में बेलदार के रूप में तैनात किया गया था और उसने मार्च, 1982 तक काम किया था और उसकी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (एफ), (जी) और (एच) के पूर्ण उल्लंघन के तहत, उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित। प्रबंधन ने विस्तृत लिखित बयान प्रस्तुत करके सभी दलीलों का विरोध किया और प्रबंधन द्वारा निर्धारित दलीलों का, प्रतिकृति दाखिल करके, विरोध नहीं किया गया। हालाँकि, पार्टियों की दलीलों पर, उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भित मुद्दे को, अपनाया गया है और पार्टियों ने नेत्र और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।--- अस्पष्ट देरी के कारण औद्योगिक विवाद के अस्तित्व और निर्वाह के अलावा, यह भी दलील दी गई है कि श्रमिक ने कथित समाप्ति की तारीख से 12 पूर्ववर्ती महीनों में 240 दिन भी पूरे नहीं किए हैं।

(5) श्रम न्यायालय की राय के अनुसार श्रमिक ने 240 दिन पूरे किए जो कि प्रबंधन द्वारा की गई स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि श्रमिक ने फरवरी, 1979 से अक्टूबर, 1981 तक काम किया है। प्रबंधन के गवाह द्वारा भी स्वीकारोक्ति की गई थी, इसलिए, निष्कर्ष को कामगार के पक्ष में वापस करने की आवश्यकता थी। यह स्वीकार किया गया है अधिनियम की धारा 25-एफ का कोई अनुपालन

नहीं किया गया है। अत: समाप्ति का आदेश में उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन किया गया है।

(6) जहां तक देरी का सवाल है, श्रम न्यायालय ने राय दी है कि ***अजायब सिंह*** *बनाम* ***सरहिंद को-ऑपरेटिव सोसाइटी*** [1] के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर, देरी की दलील टिकाओ नहीं है क्योंकि परिसीमा अधिनियम के प्रावधान, इस अधिनियम की कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए श्रम न्यायालय के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही योग्य है।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि उपयुक्त सरकार और श्रम न्यायालय द्वारा गलती की गई है क्योकि उन्होंने पार्टियों के समक्ष औद्योगिक विवाद की स्थिरता की जांच नहीं की है। वास्तव में, कामगार को लगभग दस वर्षों के अंतराल के बाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत दावा दायर करने के लिए स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने ***नेदुंगडी बैंक लिमिटेड*** *बनाम* ***के.पी. माधवनकुट्टी,*** [2] और इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पुनः प्रस्तुत: ***अमर सिंह*** **बनाम** ***हरियाणा राज्य और अन्य,*** (2006 का सीडब्ल्यूपी संख्या 5870, 20 अप्रैल, 2006) में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर निर्भर किया है। यह तर्क दिया गया है कि श्रमिक उपयुक्त सरकार या श्रम न्यायालय के समक्ष, दस साल की अवधि के बाद भी दोनों पक्षों के बीच औद्योगिक विवाद कायम है, इस पर कोई आधार नहीं बना पाये है। कोर्ट ने कहा कि दस साल की अवधि के बाद भी दोनों पक्षों के

---

[1] 1999 एल.एल. आर 529

[2] 2000 (2) एस.सी.सी. 455

बीच औद्योगिक विवाद कायम रहा। इसके अभाव में, संदर्भ नहीं दिया जा सकता और श्रम न्यायालय द्वारा उस पर विचार नहीं किया जा सकता था।

(8) इस न्यायालय की एक खंडपीठ के आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2006 के तहत प्रस्ताव की सूचना जारी की गई थी। श्रमिक ने विस्तृत लिखित बयान प्रस्तुत किया है और प्रारंभिक आपत्ति ली है कि प्रबंधन द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत, श्रम न्यायालय द्वारा दिये गये तथ्य को , असाधारण क्षेत्राधिकार के तहत खारिज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, तत्काल याचिका दायर करने के लिए संस्थान द्वारा निदेशक के पक्ष में कोई उचित और कानूनी प्राधिकरण नहीं दिया गया है। अत: यह खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क दिया गया है कि श्रम न्यायालय द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश **अजायब सिंह के मामले (सुप्रा)** पर सही ढंग से निर्भर किया गया है, - जिसके तहत यह विशेष रूप से माना गया है कि परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137, इस संदर्भ पर लागू नहीं होगा और केवल दावे में माँगी गई राहत को ही परिवर्तित किया जा सकता है। मौजूदा मामले में, श्रमिक के खिलाफ देरी की दलील योग्य/टिकाऊ नहीं है, परिणामस्वरूप, याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

(9) हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है और पेपर बुक और 12 जुलाई 2005/10 अक्टूबर 2005 के फैसले, (अनुलग्नक पी 3 की प्रतिलिपि)का भी अवलोकन किया है, जो वर्तमान याचिका में चुनौती का विषय है।

(10) हमारी सुविचारित राय यह है कि श्रम न्यायालय ने कामगार द्वारा रखी गई पुरानी मांग/दावे के संबंध में उठाए गए सवाल का सही मूल्यांकन नहीं किया है। यह माना गया था कि कर्मचारी ने अक्टूबर, 1981 से काम करना बंद कर दिया था। उसने पहली बार वर्ष 1991 में यानी लगभग दस साल बाद डिमांड

नोटिस दिया था। प्रबंधन ने सुलह कार्यवाही में देरी और इसके परिणामस्वरूप पार्टियों के बीच औद्योगिक विवाद की विचारणीयता और स्थिरता के संबंध में आपत्ति ली थी। उपयुक्त सरकार ने इस मुद्दे पर कोई राय नहीं दी और 26 अगस्त, 1993 के आदेश के तहत औद्योगिक विवाद को निर्णय के लिए श्रम न्यायालय में भेजने का निर्णय लिया। प्रबंधन ने उठाया

यह मुद्दा एक बार फिर श्रम न्यायालय के सामने भी उठाया गया। इस दलील को श्रम न्यायालय ने, **अजायब सिंह के मामले (सुप्रा)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर, इस आधार पर खारिज कर दिया है कि देरी श्रमिक के दावे के लिए घातक नहीं है। श्रम न्यायालय का यह दृष्टिकोण बिल्कुल भी सही नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर यह राय दी है कि, यदि कामगार द्वारा अंतर/विलंब का उचित स्पष्टीकरण नहीं किया जाता है, तो पुरानी मांग टिकाऊ नहीं होगी, जिसमें प्रबंधन भी शामिल हो सकता है- जिसका अर्थ है यह की देरी प्रबंधन की वजह से और काम करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण के कारण हुई- परिणामस्वरूप, औद्योगिक विवाद कायम रहा। इस संबंध में **नेदुंगडी बैंक के मामले (सुप्रा)** में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ-साथ **अमर सिंह के मामले (सुप्रा)** में दिए गए इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जिस में इस मामले के संबंध में कार्रवाई की गई है। मौजूदा मामले में, कर्मकार तदनुसार राहत का दावा करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत मांग नोटिस भेजने के कारणों की व्याख्या करने में सक्षम नहीं रहा है। अब भी लिखित बयान देते समय कर्मचारी ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। यह स्पष्ट है कि उचित सरकार को पुरानी मांग की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और यदि कर्मचारी देरी को समझाने और औद्योगिक विवाद के अस्तित्व और निर्वाह को

भी बताने में सक्षम होता है तो न्यायनिर्णयन के लिए भेजा संदर्भ टिकाऊ माना जाएगा। यदि ऐसा स्पष्टीकरण नहीं मिलता है और औद्योगिक विवाद अस्तित्व में नहीं रहता है, तो ऐसी पुरानी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।

(11) मौजूदा मामले में, कोई स्पष्टीकरण तो दूर, उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया क्योंकि कोई भी स्पष्टीकरण ना तो उपयुक्त सरकार, न ही कोई श्रम न्यायालय और न ही हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था। कर्मचारी द्वारा लिखित बयान देते समय इस संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया। परिणामस्वरूप, हमारी राय है कि उपयुक्त सरकार ने दस वर्षों की अवधि के बाद, उठायी गई पुरानी माँगो के संदर्भ को, न्यायिक निर्णय में भेजने में गलती की है और आगे श्रम न्यायालय ने भी संदर्भ पर विचार करने में गलती की है क्योकि उठायी गई पुरानी माँगे पार्टियों के बीच ना तो मौजूद है और ना ही उनका कोई अस्तित्व है। नतीजतन, याचिका स्वीकार की जाती है, 12 जुलाई, 2005/10 अक्टूबर, 2005 के फैसले,(प्रति संलग्नक पी3) को रद्द किया जाता है। यह अभिनिर्णित किया जाता है कि संदर्भ टिकाऊ नहीं है और कामगार का दावा विवरण खारिज किया जाता है।

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल बनाम यश पाल एवं अन्य
माननीय न्यायमूर्ति जे. एस. नारंग

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अनमोल कक्कड़

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer) करनाल, हरियाणा

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल बनाम यश पाल एवं अन्य

माननीय न्यायमूर्ति जे. एस. नारंग